मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31/10/2022

क्र. एफ 16-45/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स गुजरात गार्जियन लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर-घिरोंगी, जिला भिण्ड में रू. 1500 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से फ्लोट ग्लास निर्माण परियोजना हेतु जारी शासनादेश दिनांक 24.04.2013 के पुनर्विलोकन एवं अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यत्र संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 15 प्रतिशत की स्थिर दर से शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।

2. **भूमि संबंधी रियायत-** परियोजना हेतु पूर्व में आवंटित भूमि पर पुनरीक्षित प्रस्ताव के अनुसार उक्त आवंटित भूखण्ड पर उद्योग स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त आवंटित भूमि (पूर्व में) के विरूद्ध एमपीआईडीसी की लंबित देयतायें (भू-भाटक एवं संधारण शुल्क) के भुगतान पर अधिरोपित शास्ती (ब्याज/पेनॉलटी) की राशि के भुगतान से इकाई को छूट इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा लंबित देयताओं का भुगतान आदेश जारी होने के 3 माह की अवधि में किया जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** इकाई अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क प्रदान की जाये।

4. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** इकाई अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत टैरिफ पर रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

5. **विद्युत ट्रांसमिशन लाईन-** परियोजना हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति के दृष्टिगत निकटतम 220 के.व्ही. सबस्टेशन से 132 के.व्ही डबल सर्किट लाईन की स्थापना पर हुये वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम राशि रूपये 4 करोड की सीमा तक, की सहायता प्रदान की जाये।

6. **वैट की प्रतिपूर्ति -** वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से परियोजना अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले उत्पाद हेतु उपयोग की गई प्राकृतिक गैस पर 14 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की स्थिर दर से 10 वर्षों हेतु वैट अधिरोपित किया जाये। कंपनी द्वारा भुगतान किये गये 8 प्रतिशत (अंतर की राशि) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति MPIDC द्वारा कंपनी को की जाये।

निरंतर .....

7. **गैस पाईप लाईन की व्यवस्था-** प्लांट के समीपस्थ स्थापित गैस सबस्टेशन से परियोजना स्थल तक गैस पाईप लाईन की स्थापना पर किये गये वास्तविक व्यय पर 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1 करोड की सीमा तक, की प्रतिपूर्ति की जाये।

8. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) अंतर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

9. परियोजना को स्वीकृत सुविधा का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 4 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-45/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 31/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
4. कलेक्टर, जिला भिण्ड ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स गुजरात गार्जियन लि. State Highway - 13, Village Kondh, Ankleshwar - Valia Rd, Ankleshwar, Gujarat - 393001.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग